न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,टोंक

पीठासीन अधिकारी— रामरतन सौंकरिया
आर.ए.एस.

मिसल नम्बर	तारीख दायरा	तारीख निर्णय
56/2017 प्रा.पत्र/2017	28.08.2017	07.05.2026
जीसीएमएस नं0 175/2017		

मदन लाल गूर्जर, खाद्य सुरक्षा अधिकारी टोंक कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी टोंक राज0।

............प्रार्थी

बनाम

1—श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल एफ.बी.ओ. मैसर्स अग्रवाल बेकर्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवासी—सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 जिला टोंक राज0 पिन—304804
2—मैसर्स अग्रवाल बेकर्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 पिन—304804
3—श्री राजेन्द्र कुमार जैन प्रोपरायटर मैसर्स जय जिनेन्द्र फूड्स, भाटिया मारूति शोरूम स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज0 निवासी 88 तिलक नगर छावनी कोटा राज0
4—मैसर्स जय जिनेन्द्र फूड्स, भाटिया मारूति शोरूम स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज0।

.......अप्रार्थीगण

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2(ii) एफ.एस.एस. एक्ट 2006, रूल्स 2011

उपस्थित—

1—पेरोकार सरकार।
अप्रार्थीगण अनु0।

:—<u>निर्णय</u>—: दिनांक 07/5/26

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 27.04.2017 को समय दोपहर 02:19 पी.एम.पर मैसर्स अग्रवाल बेकर्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक पर पहुंचा। वहां पर खाद्य कारोबारकर्ता एवं विक्रेता की हैसियत से श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल अपने प्रतिष्ठान मैसर्स अग्रवाल बेकर्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक पर खाद्य पदार्थ का कारोबार करते हुए उपस्थित मिला। श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल को अपना परिचय दिया एवं परिचय लिया तथा पूछने पर श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल ने स्वयं को प्रतिष्ठान का एफ.बी.ओ होना बताया एवं मौके पर खाद्य अनुज्ञा बिक्री प्रपत्र मांगने पर नहीं होना जाहिर किया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा, श्री विकास बंसल की उपस्थिति में प्रतिष्ठान का निरीक्षण करने पर पाया कि प्रतिष्ठान में आम जनता को विक्रय हेतु कन्फैक्शनरी व बेकरी उत्पाद के साथ—साथ **नमकीन जय जिनेन्द्र ब्राण्ड पॉली पैक (Namkeen Jai Jinendra Brand Poly Pack)** अलग—अलग सील्ड पॉली पैक 250—250 ग्राम के 22 नग दुकान में वास्ते आम जनता को विक्रय हेतु रखा हुआ था, जिसे खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व विनियम 2011 के तहत देखने व निरीक्षण करने पर मानक स्तर

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

का न होने एवं मिलावट की शंका होने पर श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल को फार्म नं. 5 ए में वास्ते नमूना क्रय करने हेतु नोटिस देकर नोटिस की रसीद प्राप्त की एवं दो प्रतियों में नियमानुसार भरकर एफ.बी.ओ. को सूचित कर प्रतियों में विक्रेता श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल व गवाहान के हस्ताक्षर करवाये व आवेदक ने स्वयं हस्ताक्षर मय सील मोहर कर तस्दीक किया। एक प्रति विक्रेता को वास्ते सूचनार्थ सुपुर्द कर विक्रेता को यह बताकर कि दुकान की रैंक में 250–250 ग्राम के 22 नग **नमकीन जय जिनेन्द्र ब्राण्ड पॉली पैक (Namkeen Jai Jinendra Brand Poly Pack)** में से 250–250 ग्राम के 8 नग मूल पैक कुल 2 किलोग्राम नमूना जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत विक्रेता को नगद देकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खरीदशुदा **नमकीन जय जिनेन्द्र ब्राण्ड पॉली पैक (Namkeen Jai Jinendra Brand Poly Pack)** 250–250 ग्राम के 8 नग कुल 2 किलोग्राम में से 500–500 ग्राम के चार चोकोर सूखे प्लास्टिक के डिब्बों में भरकर एयरटाईट बन्द किया, नियमानुसार चार नमूना भाग तैयार कर, लेबल तैयार कर लेबलों पर नमूना लेने का दिनांक व स्थान व लिए गए खाद्य पदार्थ का नाम तथा डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक आई–1615 दर्ज कर, आवेदक ने हस्ताक्षर किये एवं विक्रेता व गवाहान के हस्ताक्षर कराकर प्रत्येक भाग पर गोंद से अच्छी तरह चिपकाया। चारों नमूना भागों को अलग–अलग 2 खाकी कागज में लपेटकर गोंद से अच्छी तरह चिपकाकर प्रत्येक भाग पर डी.ओ. टोंक की हस्ताक्षर शुदा पेपर स्लिप नं. आई–1615 नीचे से ऊपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर विक्रेता एवं गवाहों के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवायें कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आये।चारों नमूना भागों को नियमानुसार मौके पर तैयार कर चारों नमूना भागों को अपने जाप्ते में लिया तथा मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार की।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँच कर फार्म नं. 6 की छः प्रतियॉ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया तथा एक नमूना भाग मय फार्म सं. 6 की प्रति के आउटर कवर में रखकर सील मोहर कर सील चपड़ी कर खाद्य विश्लेषक खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्रयोगशाला, अजमेर को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की।

आवेदक श्री विकास बंसल पुत्र श्री सीताराम बंसल मैसर्स अग्रवाल बेकर्स बस स्टैण्ड के बाहर देवली जिला टोंक राज0 निवासी–सदर बाजार देवली जिला टोंक राज0 जिला टोंक राज0 ने बतौर मैसर्स जय जिनेन्द्र फूड्स, भाटिया मारूति शोरूम स्मॉल स्केल इण्डस्ट्रीयल एरिया कोटा राज0 निवासी 88 तिलक नगर छावनी कोटा राज0 का बिल प्रस्तुत कर उपरोक्त खाद्य पदार्थ क्रय करना अवगत कराया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को डी.ओ. एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, टोंक के पत्र क्रमांक एफ.एस.एस.ए./17/2235 दिनांक 01.06.17 के द्वारा ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक खा0सु0मा0 प्रयोगशाला अजमेर से प्राप्त जांच रिपोर्ट संख्या एल0एस0/293/एक्ट/2017/290 दिनांक 20.04.2017 के अनुसार विक्रेता से वास्ते मानक स्तर की जांच करवाने हेतु क्रय किया गया **नमकीन जय जिनेन्द्र ब्राण्ड पॉली पैक (Namkeen Jai Jinendra Brand Poly Pack)** धारा का 3(1)(zf)(c) का उल्लघंन करने के कारण **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया। अतः आवेदक ने विक्रेता के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
टोंक

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी सं0 1 श्री विकास बंसल को जारी नोटिस पर तामिल कुनिन्दा ने रिपोर्ट की है कि प्राप्तकर्ता विकास बंसल के मृत्यु दिनांक 26.03.2024 को हो गई है। अप्रार्थी सं0 3 की ओर से श्री श्याम सुन्दर विजय एडवोकेट ने दिनांक 08.08.2025 को अण्डरटेंकिग पेश की परन्तु इसके बाद ना तो अप्रार्थी स्वयं ओर ना ही अभिभाषक उपस्थित हुए। अतः अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पेरोकार सरकार ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों पर प्रकाश डालते हुए निवेदन किया कि अप्रार्थीगण जिस **नमकीन जय जिनेन्द्र ब्राण्ड पॉली पैक** (Namkeen Jai Jinendra Brand Poly Pack) का विक्रय कर रहे थे वह जांच में **मिथ्याछाप** (Mis-Branded)स्तर का होना पाया गया है जो कि खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम की धारा 52 में जुर्माने की श्रेणी में आता है, इसलिए अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

हमने पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं बहस पर मनन किया व पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी के पास से लिया गया **नमकीन जय जिनेन्द्र ब्राण्ड पॉली पैक (Namkeen Jai Jinendra Brand Poly Pack)** का नमूना जांच में **मिथ्याछाप (Mis-Branded)** स्तर का होना पाया गया है। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम 2006 एवं नियम व विनियम 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(ii) के अन्तर्गत अपराध तथा धारा 52 के अन्तर्गत जुर्माने की श्रेणी में आता है। चूंकि अप्रार्थी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी हैं, अतः अप्रार्थी सं0 1 के विरूद्ध प्रकरण ड्रॉप किया जाता है तथा अप्रार्थी सं0 3 व 4 के विरूद्ध प्रार्थना पत्र प्रमाणित होने से अप्रार्थी सं0 3 व 4 पर कुल शास्ति रूपये 30,000/- (अक्षरे तीस हजार रूपये) आरोपित की जाती है। अभियुक्त उक्त दण्ड की राशि जरिये चालान से राजकोष में संबंधित मद में निर्णय दिनांक से एक माह के अन्दर जमा कराकर रसीद पेश करें। एक माह के अन्दर शास्ति जमा नहीं करवाने पर शास्ति वसूली की कार्यवाही हेतु निर्णय प्रति खाद्य सुरक्षा अधिकारी, टोंक को भिजवायी जावें।प्रकरण में लिये गये नमूने को अपील की अवधि व्यतीत होने के पश्चात् नियमानुसार नष्ट कर दिया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 07/5/26 को खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय टोंक

(रामरतन सौंकरिया)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट टोंक
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट,
टोंक